भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
17.12.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2979 का उत्तर

रेलवे ट्रैक मेंटेनर्स की मृत्यु

2979. श्री जगदीश चंद्रा बर्मा बसुनिया:
डॉ. शर्मिला सरकार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से अब तक रेल दुर्घटनाओं के कारण ट्रैक मेंटेनर्स की मृत्यु की वर्ष-वार और रेलवे जोन-वार संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने ट्रैक मेंटेनर्स अनुबंध कर्मचारी थे और उनके परिवारों को प्रदान किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे के कितने मंडलों में 'रक्षक' प्रणाली आरंभ की गई है और क्या सरकार की इसे अन्य मंडलों में शुरू करने की योजना है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): रेलपथ अनुरक्षण से संबंधित कर्मचारियों की संरक्षा और कल्याण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. रेलपथ अनुरक्षकों को जोखिमपूर्ण वातावरण में कार्य करते समय आवश्यक सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए जाते हैं। उनके लिए प्रमुख सुरक्षा उपकरण जैसे रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेफ्टी जैकेट (ल्यूमिनस वेस्ट), सुरक्षा जूते, दस्ताने, सुरक्षा हेलमेट जिसमें अलग किया जा सकने वाली माइनर लाइट, तीन रंग की एलईडी तीन सेल टॉर्च, रेनकोट, विंटर जैकेट आदि मुहैया कराए जाते हैं।

ii. इन कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ाने और शारीरिक थकान को कम करने के लिए, हल्के वजन के उपकरण जैसे स्पैनर, हथौड़ा, क्रोबार आदि मुहैया कराए जाते हैं। इसके अलावा, बैटरी/हाइड्रोलिक संचालित मशीनें और स्वचालित प्रणालियां हल्के रखरखाव कार्यों जैसे फिटिंग निकालना/लगाना, बोल्ट कसना, रेल जॉइंट में लुब्रिकेशन आदि के लिए विकसित की गई हैं, ताकि शारीरिक थकान को कम किया जा सके और उत्पादकता में सुधार हो सके।

iii. विभिन्न प्रकार की रेलपथ मशीनों का उपयोग करके रेलपथ का यांत्रिक अनुरक्षण सभी प्रकार के कठिन कार्यों जैसे टैंपिंग, बलास्ट क्लीनिंग, पटरियों को उठाना और संरेखित करना, साथ ही पटरियों की ग्राइंडिंग, कटिंग, ड्रिलिंग आदि के लिए शुरू किया गया है ताकि मानवीय श्रम कम हो। मोबाइल टीमों को रेलपथ अनुरक्षण के लिए मल्टी यूटिलिटी/रेल आधारित वाहन मुहैया कराए जाते हैं।

iv. संरक्षा संबंधी पद्धतियों को सुदृढ़ बनाने के लिए नियमित काउंसलिंग और चिकित्सकीय परीक्षण किए जाते हैं। संभावित जोखिमों के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं। सेमिनार और कार्यशालाओं के माध्यम से उचित संरक्षा प्रोटोकॉल के साथ "पर्सनल सेफ्टी फर्स्ट" कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जहां इन कर्मचारियों को 'पटरियों पर अथवा निकटवर्ती क्षेत्र में कार्य करते समय सुरक्षित रहने के तरीके' के विषय में प्रशिक्षित किया जाता है।

v. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों (जेडटीसी) के माध्यम से रेलपथ संरक्षा नियमों, मशीनों/उपकरणों के उपयोग, प्राथमिक उपचार आदि के विषयों पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बेहतर समझ के लिए व्यवहारिक और दृश्य प्रशिक्षण साधनों का उपयोग किया जाता है।

vi. कर्मचारियों के कल्याणकारी उपायों के संबंध में, उन्हें गैंग टूल्स सह विश्राम कक्ष, गैंग हट्स, चौकीदार वाले समपार फाटक पर शौचालय की सुविधाएँ, पानी की बोतल (2 लीटर, हीट इंसुलेटेड), आश्रितों की शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पारिवारिक आवास

प्रदान किया गया है। इसके अलावा, रेलपथ अनुरक्षकों की ड्यूटी की प्रकृति के अनुसार जोखिम और कठिनाई भत्ता भी प्रदान किया जाता है।

vii. जलवायु संबंधी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार ड्यूटी रोस्टर में लचीलेपन की अनुमति है। रेलपथ अनुरक्षकों को प्रोत्साहन देने के लिए संरक्षा और रेलपथ अनुरक्षण कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान और पुरस्कार दिए जाते हैं।

viii. वीएचएफ आधारित आने वाली गाड़ियों के संबंध में चेतावनी प्रणाली (एप्रोचिंग ट्रेन वॉर्निंग सिस्टम) से ब्लॉक खंड में आने वाली गाड़ियों के लिए एडवांस स्टार्टर सिगनल के हरा होने पर कर्मियों को हैंडहेल्ड वीएचएफ रिसीवर डिवाइस के माध्यम से पहले से चेतावनी देता है। इन उपकरणों को सभी मार्गों पर पटरियों पर काम करने वाले कर्मियों को सामान्य सुरक्षा सावधानियों के अतिरिक्त संरक्षा के लिए मुहैया कराया जा रहा है। इस प्रणाली को भारतीय रेल नेटवर्क में क्रमिक रूप से लागू किया जा रहा है। इस प्रणाली से अब तक लगभग 340 ब्लॉक खंडों को कवर किया जा चुका है।

उक्त उल्लिखित संरक्षा संबंधी उपायों के परिणामस्वरूप, रेलपथ अनुरक्षण कार्यों के दौरान रेल कर्मचारियों के ड्यूटी के दौरान मृत्यु की संख्या 2013-14 में 196 से घटकर पिछले पांच वर्षों में औसतन 67 प्रति वर्ष रह गई है, जो कि लगभग 66% की कमी है।

रेलगाड़ी दुर्घटनाओं के पीड़ित व्यक्तियों को दुर्घटना या अप्रत्याशित घटना के तुरंत पश्चात अनुग्रह राहत राशि प्रदान की जाती है। रेलवे द्वारा गाड़ी दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों को कुल अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। संविदागत कर्मचारियों के मामलों को प्रावधानों और संविदा के नियम एवं शर्तों के अनुसार शीघ्रता से निपटाया जाता है।

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124 और धारा 124-क (धारा 123 के साथ पठित) के तहत यथा परिभाषित रेलगाड़ी दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में रेल यात्रियों की मृत्यु/चोट के लिए मुआवजे का निर्णय रेल दावा अधिकरण (आरसीटी) द्वारा पीड़ितों/उनके आश्रितों द्वारा उनके

समक्ष दायर किए गए दावा आवेदन के आधार पर किया जाता है और इसमें उचित कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् मामलों का निपटान किया जाता है। रेल प्रशासन तब मुआवजा देता है जब माननीय आरसीटी द्वारा दावेदार के पक्ष में निर्णय दिया जाता है और रेलवे उस आदेश को लागू करने का निर्णय लेती है। मुआवजे की राशि अनुग्रह राशि के अतिरिक्त प्रदान की जाती है।

रेलवे द्वारा किसी कर्मचारी के परिवार/आश्रितों को अनुग्रह मुआवजा राशि वित्तीय सहायता (01.01.2016 से 25 लाख रु.) तब दी जाती है जब उसकी सरकारी ड्यूटी के समय दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है।

अनुग्रह राशि का शीघ्र संवितरण विभिन्न कारकों जैसे अपेक्षित दस्तावजों (यथा कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र) को समय पर प्रस्तुत न करने, पारिवारिक विवाद/प्रतिस्पर्धी दावे, मृत्यु के कारण के सत्यापन आदि पर निर्भर करता है।

****